भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 430

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2024

अल्पसंख्यकों हेतु रोजगार के अवसर

430. श्री जुगल किशोर:
श्री नव चरण माझी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार से ओडिशा सहित राज्य-वार छात्रवृत्ति पाने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

पीएम विकास (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन) योजना मंत्रालय की पूर्ववर्ती 5 आजीविका योजनाओं को एकीकृत करती है, जिसमें 2013-14 में शुरू की गई सीखो और कमाओ योजना और 2015 में शुरू की गई नई मंजिल योजना शामिल हैं। सीखो और कमाओ (एसएके) योजना का लक्ष्य विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उन्नत करना है। नई मंजिल योजना को अल्पसंख्यक युवाओं, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्कूल ड्रॉपआउट लोगों को लाभ पहुंचाने और शिक्षा और कौशल विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। पात्र लाभार्थियों को पीएम विकास योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। दोनों योजनाओं को मंत्रालय द्वारा पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

मंत्रालय की पूर्ववर्ती 'नया सवेरा' योजना ('निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध' योजना) के तहत, जिसे 2007-08 से 2021-22 तक लागू किया गया था, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और रेलवे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह क, ख, और ग सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करने के

लिए है। इस योजना को पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया था।

इसके अलावा, मंत्रालय की 'नई उड़ान' योजना के तहत, जिसे 2013-14 से 2021-22 तक लागू किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

'अल्पसंख्यकों हेतु रोजगार के अवसर' के संबंध में दिनांक 24.07.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों की संख्या जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है					
राज्य	**शैक्षणिक वर्ष 2017-18**	**शैक्षणिक वर्ष 2018-19**	**शैक्षणिक वर्ष 2019-20**	**शैक्षणिक वर्ष 2020-21**	**शैक्षणिक वर्ष 2021-22**
आंध्र प्रदेश	1,32,983	1,29,589	1,61,555	1,52,714	1,75,881
तेलंगाना	1,76,726	1,69,146	1,71,908	1,56,037	1,77,799
असम	2,25,605	1,16,564	2,90,719	2,50,267	2,35,497
बिहार	1,22,582	2,22,209	2,45,662	1,34,270	1,75,486
छतीसगढ़	7,958	5,595	4,839	4,308	4,476
गोवा	1,460	349	497	772	1,118
गुजरात	1,34,673	1,28,432	1,34,907	1,02,873	90,391
हरियाणा	4,685	6,259	8,860	9,396	25,053
हिमाचल प्रदेश	1,667	1,541	2,056	1,985	1,819
जम्मू व कश्मीर	1,57,548	1,55,312	5,23,653	4,66,290	3,95,184
झारखंड	51,895	50,466	84,133	14,332	14,174
कर्नाटक	3,32,989	4,33,314	5,07,463	5,17,527	5,68,451
केरल	5,57,278	5,73,776	5,93,531	5,99,692	6,38,742
लद्दाख	-	-	-	14,862	11,903
मध्य प्रदेश	99,064	1,08,841	1,37,269	1,13,780	1,39,838
महाराष्ट्र	6,19,888	6,88,310	7,44,273	7,34,816	8,10,541
मणिपुर	6,153	14,882	44,390	47,526	52,557
मेघालय	5,544	5,392	9,865	14,630	15,488
मिजोरम	34,436	42,696	52,652	53,129	61,081
नागालैंड	24,840	28,156	53,156	69,053	78,013
ओडिशा	**9,922**	**10,611**	**12,934**	**17,470**	**25,644**
पंजाब	4,32,616	4,09,392	4,68,622	4,47,136	5,05,497
राजस्थान	1,46,089	1,35,980	1,65,049	1,46,296	1,90,684
सिक्किम	757	392	716	102	513
तमिलनाडु	3,53,184	3,25,580	3,76,543	3,81,455	4,49,559
त्रिपुरा	5,374	3,283	3,525	5,723	7,156
उत्तर प्रदेश	5,77,622	6,91,804	7,27,980	7,47,354	8,45,364
उत्तराखंड	21,012	21,275	30,197	18,621	21,837
पश्चिम बंगाल	10,54,783	12,06,629	884	273	576
अण्डमान और निकोबार	288	56	107	2,796	3,294
चंडीगढ़	2,307	1,342	1,461	1,913	1,813
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	55	134	468	275	318
दिल्ली	7,345	2,216	4,928	8,328	12,553
पुदुचेरी	1,929	2,331	3,223	3,963	4,327
कुल	**53,11,257**	**56,91,854**	**55,68,025**	**52,39,964**	**57,42,627**

अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों की संख्या जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है					
राज्य	शैक्षणिक वर्ष 2017-18	शैक्षणिक वर्ष 2018-19	शैक्षणिक वर्ष 2019-20	शैक्षणिक वर्ष 2020-21	शैक्षणिक वर्ष 2021-22
आंध्र प्रदेश	14,161	13,292	15,408	12,661	15,217
तेलंगाना	16,275	15,597	17,393	18,372	20,851
असम	33,071	27,856	38,531	30,456	49,111
बिहार	50,511	49,333	48,456	43,512	19,654
छत्तीसगढ़	2,189	2,114	2,202	2,198	2,745
गोवा	291	140	218	349	459
गुजरात	20,454	20,652	23,445	21,289	23,530
हरियाणा	5,247	3,792	4,703	5,194	7,831
हिमाचल प्रदेश	570	430	534	500	637
जम्मू व कश्मीर	26,695	28,536	1,11,052	53,725	47,601
झारखंड	15,025	12,616	13,182	5,918	5,499
कर्नाटक	43,917	48,924	74,944	55,081	73,919
केरल	63,084	65,875	65,635	67,583	74,335
लद्दाख	-	-	-	1,593	907
मध्य प्रदेश	18,319	18,536	22,038	20,430	23,638
महाराष्ट्र	47,697	48,332	48,331	47,333	42,159
मणिपुर	3,846	3,860	5,599	4,497	4,632
मेघालय	6,129	6,563	7,533	7,254	5,318
मिजोरम	1,367	1,300	1,309	1,144	1,704
नागालैंड	6,301	4,360	5,332	6,029	6,425
ओडिशा	**3,260**	**2,134**	**2,738**	**3,146**	**4,032**
पंजाब	61,883	55,829	56,646	53,450	55,461
राजस्थान	23,982	24,437	27,933	27,404	30,055
सिक्किम	101	104	52	85	289
तमिलनाडु	39,193	36,628	43,241	44,319	52,432
त्रिपुरा	1,054	1,164	1,067	1,004	1,767
उत्तर प्रदेश	94,518	86,303	94,291	4,646	1,35,329
उत्तराखंड	4,102	2,830	4,521	1,14,388	5,298
पश्चिम बंगाल	89,303	99,957	3,730	5,184	6,560
अण्डमान और निकोबार	53	18	9	278	296
चंडीगढ़	174	115	154	123	117
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	56	59	81	57	79
दिल्ली	4,854	2,063	2,261	3,518	2,923
पुदुचेरी	387	516	572	596	630
कुल	**6,98,069**	**6,84,265**	**7,43,141**	**6,63,316**	**7,21,440**

अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों की संख्या जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है					
राज्य	**शैक्षणिक वर्ष 2017-18**	**शैक्षणिक वर्ष 2018-19**	**शैक्षणिक वर्ष 2019-20**	**शैक्षणिक वर्ष 2020-21**	**शैक्षणिक वर्ष 2021-22**
अण्डमान और निकोबार	14	2	3	4	3
आंध्र प्रदेश	2,618	2,599	3,476	1,808	2,118
असम	5,178	4,437	6,158	7,216	9,384
बिहार	11,094	11,144	6,985	7,933	6,737
चंडीगढ़	11	8	2	6	7
छत्तीसगढ़	499	421	432	441	518
दिल्ली	487	459	384	376	296
गोवा	119	76	76	116	51
गुजरात	4,058	3,437	3,037	2,722	2,733
हरियाणा	1,123	821	821	772	1,031
हिमाचल प्रदेश	69	48	30	32	52
जम्मू व कश्मीर	6,191	5,794	7,702	8,898	9,397
झारखंड	2,439	1,264	1,501	232	685
कर्नाटक	9,970	15,979	20,779	22,510	22,175
केरल	19,240	22,038	26,205	29,630	32,815
लद्दाख			-	130	81
मध्य प्रदेश	3,444	2,154	2,448	2,216	2,533
महाराष्ट्र	6,487	4,336	2,814	2,187	2,344
मणिपुर	301	364	348	282	338
मेघालय	1,214	1,182	1,322	1,165	601
मिजोरम	403	543	1,115	46	107
नागालैंड	1,231	1,186	1,193	1,193	1,258
ओडिशा	**784**	**537**	**436**	**392**	**466**
पुदुचेरी	61	57	62	44	48
पंजाब	5,343	3,273	2,410	1,829	1,716
राजस्थान	3,842	3,555	3,241	3,173	2,910
सिक्किम	13	21	18	34	51
तमिलनाडु	6,108	5,475	5,685	5,295	6,862
तेलंगाना	2,913	2,854	3,311	4,065	4,758
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	10	1	5	7	8
त्रिपुरा	168	125	81	111	94
उत्तर प्रदेश	11,038	9,901	10,545	496	12,442
उत्तराखंड	576	526	470	10,154	659
पश्चिम बंगाल	12,426	13,154	5,264	4,856	6,770
कुल	**1,19,472**	**1,17,771**	**1,18,359**	**1,20,371**	**1,32,048**

*****